

प्ररूप - एक
(नियम 11 देखिए)
भूमिस्वामी द्वारा भूमि उपयोग के व्यपवर्तन तथा स्वनिर्धारण की सूचना

सन्दर्भ क्रमांक: 2205 8630 891

प्रति,

उपखण्ड अधिकारी,

तहसील: सांवेर जिला: इन्दौर

विषय - व्यपवर्तन तथा प्रीमियम एवं भू- राजस्व के स्वनिर्धारण की सूचना
भाग - एक



अनु.क्र. (1)	विवरण (2)	ब्योरे (3)
1	आवेदक का नाम	DEEPAK GOYAL
2	पिता / पति / अभिवावक का नाम	KRISHNAMURARI GOYAL
3	(एक) पता (दो) दूरभाष क्रमांक (यदि कोई है) (क) लैंडलाइन (कार्या.) (ख) लैंडलाइन (आवा.) (ग) मोबाइल न. (तीन) ई-मेल आई डी (यदि कोई है) (चार) पहचान के प्रमाण के लिये दस्तावेज (पांच) पता के प्रमाण के लिये दस्तावेज	(एक) 74 NEAR ROYAL BANGLO SWASTHYA NAGAR INDORE 452010 (दो) (क) (ख) (ग) 7389932311 (तीन) savitri_packaging@yahoo.in (चार) आधार कार्ड, संख्या 1, दिनांक 18-07-2023 (पांच) आधार कार्ड, संख्या 1, दिनांक 18-07-2023
4	यदि आवेदक भूमिस्वामी नहीं है - (एक) भूमिस्वामी का आवेदक से सम्बन्ध (दो) प्राधिकार के विवरण (क) प्राधिकार पत्र / भूमिस्वामी का पावर ऑफ अटॉर्नी (ख) विधिक व्यक्ति के मामले में सक्षम स्तर से प्राधिकार / पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ प्राधिकार / प्राधिकार पत्र	(एक) अधिकृत आवेदनकर्ता (दो) (क) (ख)
5	शामिल खाते में धारित भूमि के मामले में, यदि सभी भूमिस्वामी संयुक्त रूप से सूचना प्रस्तुत नहीं करते हैं - (एक) उपखण्ड अधिकारी को आवेदक भूमिस्वामी को प्राधिकृत करने के सम्बन्ध में समस्त भूमिस्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकृत पत्र (दो) यदि केवल कुछ भागीदार भूमिस्वामी द्वारा व्यपवर्तन किया जाता है तो व्यपवर्तित भूमि के बारे में भागीदार भूमिस्वामियों के हिस्सों के सम्बन्ध में घोषणा	(एक)
6	भूमिस्वामी का नाम	सावित्रीपेकेजिंगतर्फेप्रोपराईटरतर्फे
7	(एक) पिता / पति / अभिभावक का नाम (यदि भूमिस्वामी एकल व्यक्ति है) (दो) विधिक व्यक्ति के मामले में पंजीयन क्रमांक / पैन न.	(एक) कृष्णमुरारी गोयल (दो)
8	(एक) पता (दो) दूरभाष क्रमांक (यदि कोई है) (क) लैंडलाइन (कार्या.) (ख) लैंडलाइन (आवा.) (ग) मोबाइल न. (तीन) ई-मेल आई डी (यदि कोई है) (चार) पहचान के प्रमाण के लिये दस्तावेज (पांच) पता के प्रमाण के लिये दस्तावेज	(एक) (दो) (क) (ख) (ग) (तीन) (चार) (पांच)
9	भूमि के विवरण (एक) जिला	(एक) इन्दौर

(दो) तहसील
(तीन) ग्राम : नगरीय निकाय
(चार) पटवारी हल्का क्र. / सेक्टर क्र.
(पांच) गांव
वर्तमान स्थिति व्यपवर्तित की स्थिति
सर्वेक्षण सर्वेक्षण पूर्व का प्रयोजन क्षेत्र (व.मी.) व्यपवर्तित प्रयोजन क्षेत्र (व.मी.)
126/1/3/2/1 कृषि 7740 औद्योगिक एवं खनन 7740

(दो) सांवेर
(तीन) चंद्रावतीगंज
(चार) चित्तोडा
(पांच) चित्तोडा
व्यपवर्तित भूमि के लिए जमा की गई राशि (रूपये में)
प्रीमियम/ व.मी. कुल प्रीमियम भू-राजस्व/ व.मी. कुल भू-राजस्व पंचायत कर कुल योग
2.25 17415.00 0.75 5805.00 2902.50 26120.00
कुल राशि 17415.00 5805.00 2902.50 26120.00

- 10 जमा की जाने वाली कुल राशि (अंको में)
जमा की जाने वाली कुल राशि (शब्दों में)
किए गए भुगतान के विवरण
(एक) चालान पहचान क्रमांक
(दो) पाने वाले का नाम
11 (तीन) भुगतान की दिनांक
(चार) भुगतान का शीर्ष जिसमें जमा किया गया
(पांच) कुल जमा राशि (अंको तथा शब्दों में)
12 व्यपवर्तित भूमि का नियत स्केल पर व्यपवर्तन स्केच अलग अलग प्रयोजनों के मामले में पृथक पृथक दर्शाते हुए

26120.00
Twenty-Six Thousand One Hundred Twenty Rupees Only
(एक) 051/9999999/0029/07/23/068992
(दो) DEEPAK GOYAL
(तीन) 18072023
(चार) 00029-00-800-0017-भूमि व्यपवर्तन
(पांच) 26120.00 Twenty-Six Thousand One Hundred Twenty Rupees Only

प्रस्तुत

स्थान: _____

दिनांक: 18/07/2023

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम : DEEPAK
GOYAL

घोषणा

1. मैं **DEEPAK GOYAL** आत्मज **KRISHNAMURARI GOYAL** एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सूचना में दिए गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है।
2. मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जिस भूमि उपयोग के लिए भूमि का व्यपवर्तन किया है वह मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुननिर्धारण) नियम, 2018 के प्रावधानानुसार है।
3. मैं यह घोषणा करता हूँ कि भूमि व्यपवर्तन कि सूचना भूमि उपयोग को नियंत्रित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 कि उपधारा (6-इड़) एवं उपधारा (7-ख) उल्लंघन में नहीं है।
4. मैंने उक्त नियमों की अनुसूची एक के अनुसार प्रीमियम और अनुसूची दो के अनुसार भू-राजस्व संगणित और जमा किया है तथा जानता हूँ कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त यह राशि वापिस नहीं होगी।
5. मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा संगणित राशि मेरे द्वारा जमा कि गई प्रीमियम और / या भू-राजस्व की राशि यदि कम पाई जाती है तो अंतर की राशि मेरे द्वारा जमा की जाएगी।
6. मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे द्वारा भूमि उपयोग के प्रयोजन और व्यपवर्तित भूमि के क्षेत्रफल से सम्बन्धित प्रस्तुत की गई सूचना के विवरण असत्य पाए जाते हैं तो यह मानते हुए कि मैंने भूमि व्यपवर्तन की कोई पूर्व सूचना नहीं दी है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी द्वारा संगणित एवं विनिश्चित किये गये प्रीमियम तथा भू-राजस्व और जुर्माना को सम्मिलित करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

स्थान: _____

दिनांक: 18/07/2023

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम : DEEPAK
GOYAL**आवश्यक संलग्नक:-**

1. पहचान के प्रमाण के लिये दस्तावेज की प्रति
2. पता के प्रमाण के लिये दस्तावेज की प्रति
3. चालू वर्ष के खसरा की प्रति
4. व्यपवर्तन स्केच
5. प्रीमियम और पुननिर्धारित भू राजस्व के भुगतान की रसीद की प्रति
6. विधिक व्यक्ति के मामले में, ऐसे विधिक व्यक्ति की और से कार्यवाही करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र

टीप :-

1. पहचान के प्रमाण के लिये स्व प्रमाणित आधार नंबर, वोटर आई डी, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित या जारी किया गया फोटो सहित पहचान पत्र की प्रति।
2. नगरीय स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है केवल अनुसूची क में वर्गीकृत नगर पालिक निगम, नगर पालिका, नगर परिषद।
3. भूमि उपयोग के प्रयोजन (क) कृषिक प्रयोजन (ख) निवासार्थ आवासीय प्रयोजन (ग) शैक्षणिक प्रयोजन (घ) वाणिज्यिक प्रयोजन (ङ) औद्योगिक प्रयोजन (खान एवं खनिज सम्मिलित करते हुए) (च) पूर्त प्रयोजन (छ) अन्य प्रयोजन।

भाग - (दो)

पावती

सन्दर्भ क्रमांक:2205 8630 891

केस न.:

प्रति,

श्री /श्रीमती /कुमारी : DEEPAK GOYAL

पुत्र /पुत्री : KRISHNAMURARI GOYAL

74 NEAR ROYAL BANGLO

निवास स्थान: SWASTHYA NAGAR INDORE
452010



1. भाग एक मे दी गई भूमि के व्यपवर्तन की उक्त सूचना, एतद्वारा,प्राप्त की है |
2. यह पावती उक्त प्रारूप एक मे मद 11 मे दर्शाई गई जमा राशि की रशीद के साथ भूमि के व्यपवर्तन का प्रमाण होगी |
पावती मे कोई भी बात तय होते ही भूमिस्वामी मध्यप्रदेश भू राजस्व सहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) तथा उसके अंतर्गत
3. बनाये मध्यप्रदेश भू राजस्व सहिता (भू राजस्व क निर्धारण तथा पुननिर्धारण) नियम 2018 के समस्त प्रावधानों के पालन के लिये दायित्वाधीन होगा |

स्थान: सांवेर

दिनांक: 18/07/2023

नाम: उपखण्ड अधिकारी सांवेर

जिला: इन्दौर

नोट:

1. भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण नियम 2018 के अनुरूप, व्यपवर्तन की सूचना की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन बनाया गया है, जिससे आवेदक को भौतिक रूप से कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता ना रहे |
2. भूमि व्यपवर्तन हेतु निर्देश 2019 की कंडिका 5(3) के अनुसार, 15 कार्यदिवस की अवधि के भीतर आवेदक को यदि उपखण्ड अधिकारी के आदेश द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन के अनुसार व्यपवर्तन का उल्लेख खसरा दस्तावेज में स्वमेव हो जायेगा|

नोट: यह एक कंप्यूटर जेनेरेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर और मुहर की आवश्यकता नहीं है |